

कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

उपस्थित:- श्री दीपक कुमार ,कमिश्नर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।
प्रार्थी :- सर्वश्री सारेगामा इण्डिया लि0, ए-43 सेक्टर-2 नोएडा ।
प्रा0प्रा0सं0- 174 / 2008
प्रार्थी की ओर से- श्री अरविन्द कालरा,अधिवक्ता ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008की धारा-59 के अन्तर्गतनिर्णय

1- सर्वश्री सारेगामा इण्डिया लि0, ए-43 सेक्टर-2 नोएडा द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-59 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 9-4-2008 प्रस्तुत किया गया है जिसमें रिकार्डेड सीडी,वीसीडी,डीवीडी व एमपी 3 पर कर की जानकारी चाही गयी है।

2- डिप्टी कमिश्नर ,वाणिज्य कर, खण्ड-2 ,नोएडा से प्राप्त आख्या के अनुसार रिकार्डेड सीडी,वीसीडी,डीवीडी व एमपी 3 पर करदेयता अनुसूची-5 के अनुसार 12.5% है।

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री अरविन्द कालरा,अधिवक्ता उपस्थित हुये और बताया कि उ0प्र0 वैट अधिनियम 2008 की अनुसूची-2 भाग-ए के क्रमांक-63 में अंकित प्रविष्टि निम्नप्रकार है :-

63.	I.T products (as mentioned in Part-B) including computers, telephones and parts thereof, cell phones, satellite receivers, DVD, CD, teleprinter and wireless equipment and parts thereof.
-----	---

उक्त से स्पष्ट है कि शासन का उद्देश्य सीडी व डीवीडी आदि पर 4 प्रतिशत कर का रहा है। उ0प्र0 वैट अधिनियम 2008 की अनुसूची -2, के भाग -ख के क्रमांक 4 में निम्न प्रविष्टि अंकित है:-

4.	Prepared unrecorded media for sound recording or similar recording or other phenomena including Compact Disc (CD) and Digital Versatile Disc DVD.
----	---

इससे स्पष्ट है कि सीडी,डीवीडी पर शासन ने 4 प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित की है ।

उ0प्र0 वैट अधिनियम 2008 की अनुसूची -2, के भाग -ख के क्रमांक 4 में डीवीडी ,सीडी अंकित थी । विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-67/Xi-9(1)/08-यूपी0-आर्डि0-37-2008-आर्डर-(2)-2008 दिनांक 01-01-08 से लागू किया गया है के अनुसार अनुसूची-2-बी के क्रमांक 29 को समाप्त कर दिया गया है जिसके फलस्वरूप रिकार्डेड सीडी,वीसीडी,डीवीडी व एमपी 3 प्लेयर पर कर की दर के बारे में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है।

4- मैंने धारा-59 के अन्तर्गत दिये गये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों का परिशीलन किया । रिकार्डेड सीडी,वीसीडी,डीवीडी व एमपी 3 अनुसूची 1,2,3 व 4 में न होने के कारण, अनुसूची-5 के अन्तर्गत इस पर 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता है ।

सर्वश्री सारेगामा इण्डिया लि0, ए-43 सेक्टर-2 नोएडा ।

प्रा0प0सं0-174 / 2008

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

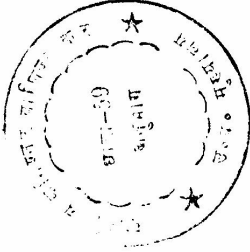
6- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक :: 13, जून, 2008

ह0 13.6.08

(दीपक कुमार)

कमिश्नर वाणिज्य कर ,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।



Handwritten signature
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ